कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उतपादन-शाखा), सतपुड़ा भवन,
मध्य प्रदेश, भोपाल – 462004

....

क्रमांक/सम/उत्पा./रजि./तेप/बीड़ी/52/010/466 भोपाल, दिनांक 01/02/2010

प्रति

समस्त मुख्य वन संरक्षक / पदेन वन संरक्षक
(क्षेत्रीय) मध्य प्रदेश

विषय :- तेन्दुपत्ता व्यापारियों के पंजीयन के संबंध में।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/सम/उत्पा./रजि./तेप/बीड़ी/122/88, भोपाल, दिनांक 07/01/2010

----0----

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि म0 प्र0 शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-26.02.2002 10-3 दिनांक 06 जनवरी 2009 के द्वारा म0 प्र0 तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन नियमावली) 1966 के नियम क्रमांक 8(2) में संशोधन करते हुए "बीडियों के निर्माता और तेन्दूपत्ता के निर्यातक" के स्थान पर शब्द "विनिर्माता और व्यापारी" स्थापित किये गये है। उक्त अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति इस कार्यालय के पत्र पृ. क्रमांक/एफ/05/सम/उत्पा./1996/3/26/तेप/अध./संशोधन/338 दिनांक 24.01.2009 द्वारा समस्त मुख्य वन संरक्षक / पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय) मध्य प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित की जा चुकी है। इसके पश्चात् भी क्षेत्रीय वन मण्डलों के द्वारा नई शब्दावली का उपयोग नहीं करते हुये पूर्व की भॉति बीडियों के निर्माता और तेन्दू पत्ता के निर्यातक के "ज" में ही रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे है, जो कि वैद्यानिक रूप से सही नही है।

अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि तेन्दूपत्ता व्यापारियों के पंजीयन के संबंध में शासन निर्देशानुसार संशोधित प्रमाण पत्र जारी किये जावे एवं शासन निर्देशों को कडाई से पालन करना सुनिश्चित किया जावें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल

पृ. क्रमांक/सम/उत्पा./रजि./तेप/बीड़ी/52/010/466 भोपाल, दिनांक 01/02/2010

प्रतिलिपिः-

1- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित भोपाल की ओर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/338 दिनांक 24.01.09 एवं पत्र क्रमांक/89 दिनांक 07.01.10 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

2- समस्त वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन/क्षेत्रीय) म.प्र. की इस कार्यालय के पत्र पृ.क्रमांक/सम/उत्पा./रजि./तेप/बीड़ी/122/89 भोपाल, दिनांक 07/01/2010 के संदर्भ में पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि म0 प्र0 शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-26.02.2002 10-3 दिनांक 06 जनवरी 2009 के द्वारा म0 प्र0 तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन नियमावली) 1966 के नियम क्रमांक 8(2) में संशोधन करते हुए "बीडियों के निर्माता और तेन्दूपत्ता के निर्यातक" के स्थान पर शब्द "विनिर्माता और व्यापारी" स्थापित किया जावे एवं आपके द्वारा त्रुटिपूर्ण जारी किये गये प्रमाण पत्र निरस्त करते हुये संशोधित प्रमाण पत्र जारी किये जावें, अन्यथा शासन निर्देशों की अवहेलना के संबंध में आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल